

NHRC seeks action report over assault on journo at DU

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to the Deputy Commissioner of Police (DCP), North Delhi, and the Vice Chancellor of Delhi University over the alleged assault of a female journalist and content creator during a protest at the university's North Campus.

The complainant alleged that she was violently attacked by a mob, targeted on the basis of her caste identity, verbally abused, physically assaulted, and threatened with further harm.

Taking cognisance of the matter the NHRC observed that, prima facie, the allegations point to a violation of the victim's human rights and directed the Registry to issue notices to the DCP, North Delhi, and the Vice Chancellor of Delhi University.

‘Sustained measures needed to prevent leprosy’



NHRC Special Monitor on Leprosy Pradeepta Kumar Nayak along with Hyderabad Collector Hari Chandana Dasari on Monday.

The Hindu Bureau HYDERABAD

Strong and sustained measures are required to prevent leprosy and ensure improved treatment and dignity for those affected, National Human Rights Commission (NHRC) Special Monitor on Leprosy Pradeepta Kumar Nayak said during a district-level

review meeting in Hyderabad on Monday.

As part of his Telangana tour from February 16-21, he is visiting Hyderabad, Rangareddy and Medchal Malkajgiri districts to assess implementation of leprosy control programmes and the protection of the human rights of persons affected by the disease.

Mr. Nayak said leprosy is

completely curable if detected early and treated with timely Multi-Drug Therapy. However, delayed diagnosis could result in permanent disability. He underlined that leprosy should not be seen only as a medical condition, but also as a social issue shaped by stigma and discrimination. He called for a comprehensive, rights-based

approach that includes public awareness, early detection, dignified rehabilitation, easy access to health services, social security schemes and strong inter-departmental coordination.

Ms. Hari Chandana said Hyderabad had intensified public health programmes, screening initiatives and training for field-level staff.



Source: <https://www.lokmatimes.com/national/nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged-assault-of-woman-journalist-at-protest/amp/>

NHRC seeks report from Delhi Police, DU over alleged assault of woman journalist at protest

By IANS | Updated: February 16, 2026 18:10 IST

New Delhi, Feb 16 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner of ...

New Delhi, Feb 16 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner of Police (North Delhi) and the Vice Chancellor of the University of Delhi over allegations that a woman journalist and content creator was violently assaulted while covering a protest at the varsity's North Campus.

A Bench presided over by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the journalist was attacked by a mob on Friday while reporting on a protest in support of the University Grants Commission (UGC).

According to the complaint, the attackers allegedly targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, physically assaulted her, threatened her with violence, and attempted to outrage her modesty.

The complainant stated that the incident constitutes caste-based violence, an attack on press freedom, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security.

Seeking the NHRC's intervention, the complainant requested an impartial investigation into the incident, action against those responsible, adequate security and safety measures for the victim, and provision of legal aid and compensation.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The NHRC has directed the DCP (North Delhi) and the Vice Chancellor of Delhi University to inquire into the allegations and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, privacy and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor



Source: <https://thenewsmill.com/2026/02/nhrc-orders-action-taken-report-within-two-weeks-on-assault-of-du-journalist/>

NHRC orders action taken report within two weeks on assault of DU journalist

Written By: TNM (With ANI Inputs) | Published on: Feb 16, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Deputy Commissioner of Police (DCP) of North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University to conduct an inquiry into the alleged assault of a female journalist and content creator at Delhi University during a protest on February 13, 2026. The Commission has instructed them to submit an Action Taken Report within two weeks.

The NHRC notice outlines the complainant's allegations that the journalist was violently attacked by a mob on North Campus while covering a UGC protest. The attackers reportedly targeted her because of her caste identity, subjected her to verbal abuse and physical assault, threatened her with violence, and attempted to outrage her modesty.

According to the notice, the complainant contends that the incident constitutes caste-based violence, infringes upon press freedom, and seriously violates her fundamental rights to life, dignity, and personal security. The complainant has requested an impartial investigation, legal action against those responsible, provision of security, legal aid, and compensation.

The NHRC observed what appeared to be prima facie violations of the victim's human rights. Taking cognisance under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the Commission, presided over by Member Priyank Kanoongo, has issued the notice to the DCP and the Vice Chancellor.

The notice states: "The Registry is directed to issue a notice to the DCP, North Delhi and the Vice Chancellor, Delhi University, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission."

Member Priyank Kanoongo also expressed on his official X account: "A complaint has been received of violent misconduct towards a female journalist at Delhi University. We are taking cognizance, and the miscreants will be dealt with as per the law. We will not tolerate the insult to women under any circumstances."



Source: <https://www.socialnews.xyz/2026/02/16/nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged-assault-of-woman-journalist-at-protest/>

NHRC seeks report from Delhi Police, DU over alleged assault of woman journalist at protest

Posted By: Gopi February 16, 2026

New Delhi, Feb 16 (SocialNews.XYZ) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner of Police (North Delhi) and the Vice Chancellor of the University of Delhi over allegations that a woman journalist and content creator was violently assaulted while covering a protest at the varsity's North Campus.

A Bench presided over by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the journalist was attacked by a mob on Friday while reporting on a protest in support of the University Grants Commission (UGC).

According to the complaint, the attackers allegedly targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, physically assaulted her, threatened her with violence, and attempted to outrage her modesty.

The complainant stated that the incident constitutes caste-based violence, an attack on press freedom, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security.

Seeking the NHRC's intervention, the complainant requested an impartial investigation into the incident, action against those responsible, adequate security and safety measures for the victim, and provision of legal aid and compensation.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The NHRC has directed the DCP (North Delhi) and the Vice Chancellor of Delhi University to inquire into the allegations and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, privacy and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

Source: IANS



Source: <https://newsable.asianetnews.com/india/du-journalist-assault-nhrc-issues-notice-to-dcp-vc-for-report-articleshow-xlgb8uf>

DU journalist assault: NHRC issues notice to DCP, VC for report

Author : Asianet News Central | ANI

Published : Feb 16 2026, 06:01 PM IST

NHRC issues notice to Delhi Police and DU VC over the alleged assault on a female journalist during a UGC protest. The commission has demanded an Action Taken Report within two weeks, citing a prima facie violation of human rights.

NHRC Takes Cognizance of Assault

The National Human Rights Commission on Monday issued a notice to Deputy Commissioner of Police (DCP) of North Delhi and the Vice Chancellor of Delhi University regarding the recent incident where a female journalist and content creator was allegedly assaulted by a mob at Delhi University during a UGC protest, directing them to make an inquiry into the case and submit an Action Taken Report within two weeks.

Details of the Complaint

The notice detailed the allegations made by the complainant, stating, "The complainant alleged that a woman journalist and content creator was violently assaulted by a mob while she was covering a protest in support of UGC at a Delhi University's North Campus on 13.02.2026. The complainant further alleged that the attackers targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, and physically assaulted/ attacked her, threatened her with violence, and attempted to outrage her" "The complainant also alleged that the incident amounts to caste-based violence, an attack on the freedom of the press, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security. The complainant sought the intervention of the Commission in the matter and requested an impartial investigation, action against the culprits/accused, security/safety, legal aid and compensation to the victim.", the letter reads.

Action Taken Report Demanded

It added that Prima Facie the allegations seem to be violations of the human rights of the victim. As per the letter, the Bench of the National Human Rights Commission, which is presided over by Priyank Kanoong, Member, took cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter. "The Registry is directed to issue a notice to the DCP, North Delhi and the Vice Chancellor, Delhi University, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission," the NHRC stated in the notice.

DU Journalist assault: NHRC demands action taken report within two weeks from North DGP and Vice Chancellor

NHRC Member Assures Action

Member of the National Human Rights Commission (NHRC), Priyank Kanoongo, also took to his official 'X' account, stating that the miscreants will be dealt "as per the law", asserting intolerance for insults towards women.

दिल्ली विश्विद्यालय में महिला पत्रकार के साथ हिंसक दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। हम संज्ञान ले रहे हैं, गुंडों का विधिसम्मत इलाज किया जाएगा। महिलाओं का अपमान कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। — प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) February 14, 2026

"A complaint has been received of violent misconduct towards a female journalist at Delhi University. We are taking cognizance, and the miscreants will be dealt with as per the law. We will not tolerate the insult to women under any circumstances." Kanoongo wrote on X.

(ANI)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a



Source: <https://daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=1306660>

State transport dept tightens safety norms after private bus fire tragedy; 8 rules made mandatory

Mon, Feb 16 2026, 02:46:09 PM

Daijiworld Media Network – Bengaluru

Bengaluru, Feb 16: Following the fire tragedy involving a private bus in Chitradurga last month, the state government has reportedly begun taking passenger safety more seriously. The National Human Rights Commission (NHRC) has also intervened in the matter, seeking measures to prevent such fire-related incidents. Acting on the commission's directions, the state transport department held an important meeting with private bus owners and has issued strict instructions to mandatorily implement eight safety regulations to prevent future mishaps.

The meeting, held under the chairmanship of the transport minister recently, saw detailed discussions on the design of private buses—especially sleeper buses—their safety arrangements and fire prevention measures. After the Chitradurga fire tragedy, the NHRC had written to the state government urging a re-examination of safety standards in private buses. In response, the transport department swung into action and directed that at least eight major safety rules must be compulsorily implemented by the end of February. Accordingly, the transport minister issued a stern warning to private bus owners, making it clear that compliance with these rules is mandatory.

As announced by the transport department, the following eight safety norms have been made compulsory for sleeper buses:

- The rear door behind the driver in sleeper buses must be opened.
- Sliders must be provided in sleeper berths.
- Fire detection systems must be installed within a month.
- Installation of a 10-kg fire extinguisher is mandatory.
- Unauthorised extension of the chassis has been prohibited.
- Certification from an approved testing agency is compulsory.
- Fitness certificates (FC) will be issued only if passenger safety standards are met.
- Registration will be allowed only after verifying the authenticity of the bus body-building agency.

Officials clarified during the meeting that strict action will be initiated against buses that fail to comply with these norms. Measures such as cancellation of fitness certificates, restrictions on bus operations and imposition of fines may also be enforced.

Overall, the government, having learned lessons from private bus fire accidents, has adopted a firm stance with no room for leniency when it comes to protecting passengers' lives. The newly announced safety rules are expected to be implemented on the ground by the end of February.



Source: <https://ommcomnews.com/india-news/nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged-assault-of-woman-journalist-at-protest/>

NHRC Seeks Report From Delhi Police, DU Over Alleged Assault Of Woman Journalist At Protest

by OMMCOM NEWS | February 16, 2026 in Nation

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner of Police (North Delhi) and the Vice Chancellor of the University of Delhi over allegations that a woman journalist and content creator was violently assaulted while covering a protest at the varsity's North Campus.

A Bench presided over by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the journalist was attacked by a mob on Friday while reporting on a protest in support of the University Grants Commission (UGC).

According to the complaint, the attackers allegedly targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, physically assaulted her, threatened her with violence, and attempted to outrage her modesty.

The complainant stated that the incident constitutes caste-based violence, an attack on press freedom, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security.

Seeking the NHRC's intervention, the complainant requested an impartial investigation into the incident, action against those responsible, adequate security and safety measures for the victim, and provision of legal aid and compensation.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The NHRC has directed the DCP (North Delhi) and the Vice Chancellor of Delhi University to inquire into the allegations and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, privacy and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

(IANS)



Source: <https://www.livelaw.in/high-court/gujarat-high-court/gujarat-high-court-human-rights-commission-private-property-disputes-523215>

Human Rights Commission Can't Entertain Private Property Disputes: Gujarat High Court Issues Directions To Prevent Jurisdictional Overreach

Ananya Tangri | 16 February 2026

Observing that a grievance relating to share in property “cannot, by any stretch of imagination, be treated as a violation of human rights,” the Gujarat High Court quashed proceedings initiated by the State Human Rights Commission in a family property dispute.

In doing so the court also issued detailed directions to regulate the Commission's exercise of jurisdiction while considering cases of human rights violation.

Justice Niral R. Mehta held that the present case was a “clear instance” where the State Human Rights Commission had exercised powers not conferred upon it under the Protection of Human Rights Act, 1993. The Court emphasised that proceedings under the Act are not meant for settlement of private civil disputes and that entertaining such complaints amounts to usurpation of the jurisdiction of the civil court.

“On a combined reading of the relevant provisions of the Act and the Human Rights Regulations, 1994, it is clear that the complaint filed by respondent No.4 before respondent No.3- Commission regarding her alleged share in the property was wholly misconceived. The dispute was already pending before the competent Civil Court, and the allegations of so-called human rights violations were made against private individuals who are not public servants. Therefore, the proceedings initiated by the Commission were legally untenable, not maintainable, and amount to an abuse of the process of law. The complaint was filed with mala fide intent to resolve a private property dispute under the guise of human rights violations and to overreach the civil proceedings already initiated by respondent No.4 herself.

It appears that after the complaint was filed, the Commission issued summons as well as bailable and non-bailable warrants, which ultimately resulted in a settlement being reached in favour of respondent No.4 by coercing the petitioners. The present case, therefore, is a clear example of abuse of legal process. Unfortunately, the Human Rights Commission committed a serious error in entertaining such a complaint and in initiating proceedings, including issuance of summons and warrants. For the reasons stated above, the Commission could not have initiated proceedings on such a vague complaint, especially when it lacked jurisdiction...”

The court further laid down directions and guidelines “regarding the jurisdiction and exercise of powers” by the Human Rights Commission to ensure that, in future, the powers under the Act are not abused and the process of law is not misused:

Before taking cognizance, including suo motu cognizance, the Commission must conduct a primary scrutiny to ascertain whether the complaint prima facie discloses a violation of human rights as defined under Section 2(d), and such satisfaction must be recorded in writing.

Regulation 9 must be borne in mind at the threshold, particularly where the complaint relates to civil disputes such as title, possession, partition or contractual obligations.

Commission shall not entertain complaints predominantly involving private civil disputes unless there is demonstrable State action resulting in a recognizable human rights violation.

Where proceedings concerning the same subject matter are pending before a court, the Commission must seek a declaration regarding such pendency and refrain from running parallel proceedings or overlapping with judicial adjudication.

Any decision taking cognizance of a complaint must be after holding preliminary inquiry and supported by a brief

written order recording the satisfaction of the Commission that the complainant discloses a prima facie case of violation of human rights; and Inquiry by the Commission is legally maintainable

The Bench also cautioned that issuance of summons, bailable or non-bailable warrants must not be done casually, but only after proper application of mind, with recorded reasons, and as a measure of last resort.

Public Officials shall not be arraigned as party in any private dispute

The case arose from a dispute over agricultural lands in village Zundal, Gandhinagar. Respondent No.4 had executed a relinquishment deed in 2015 in favour of the petitioners but later filed a suit seeking cancellation of that deed and claiming her share. During the pendency of the civil suit, she approached the State Human Rights Commission alleging violation of her human rights for not being given a share in the property. The Commission issued notices and directed the parties to take steps to give her share through mediation.

The High Court noted that the complaint before the Commission was essentially based on a private property claim between private individuals and that no allegation of violation by a public servant was made. It further observed that the dispute was already sub judice before a competent civil court and that the Commission had nonetheless proceeded to issue notices, summons and even warrants, ultimately resulting in a settlement. After analysing Sections 2(d), 12, 17 and 36 of the Act along with Regulation 9 of the National Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 1994, the Court held that a private property dispute does not fall within the statutory definition of "human rights," which is confined to rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the State Constitution. It also underlined that the Commission is barred from inquiring into matters beyond one year of the alleged violation and from entertaining complaints relating to civil disputes or matters that are sub judice.

The Court further observed that the Commission must periodically sensitise and train its members and staff regarding the statutory limits of jurisdiction, the distinction between civil rights and human rights, and the proper exercise of inquiry powers.

The Court quashed the proceedings for being wholly without jurisdiction and allowed the plea.

Case title: MAHENDRA SHANABHAI PATEL & ORS. v/s THE DISTRICT MAGISTRATE & ORS



Source: <https://www.verdictum.in/court-updates/high-courts/gujarat-high-court/mahendra-shanabhai-patel-v-the-district-magistrate-2026gujhc2718-civil-court-property-dispute-human-rights-commission-1607618>

Civil Disputes Needs Adjudication By Court of Law: Gujarat HC Quashes Human Rights Commission Proceedings, Issues Guidelines

State Human Rights Commission cannot assume jurisdiction over civil disputes or run parallel to pending suits
Agatha Shukla | 16 February 2026

The Gujarat High Court has held that a private dispute concerning share in immovable property cannot be converted into a human rights complaint under the Protection of Human Rights Act, 1993. The Court quashed the proceedings initiated by the State Human Rights Commission, observing that it acted beyond its statutory mandate, and that such matters fall exclusively within the domain of civil courts.

Furthermore, clarifying the limits of the Commission's jurisdiction, the Court observed that the Commission cannot conduct parallel inquiries, issue summons or warrants, or facilitate settlement in disputes that are essentially civil in character and already sub judice before a competent court.

It also issued guidelines directing the Commission to conduct primary scrutiny before taking cognizance, refrain from entertaining predominantly civil disputes, avoid parallel proceedings in sub judice matters, and exercise restraint in issuing summons or warrants.

Justice Niral R. Mehta observed, "...The Commission cannot conduct inquiries or proceedings in a casual manner that defeats the object and intent of the legislature. It is expected to exercise its powers with due caution and circumspection. Before initiating any proceedings, the Commission must form at least a prima facie opinion regarding the existence of a human rights violation. The Commission is also required to be vigilant, particularly where the complaint itself discloses that the dispute is predominantly civil in nature and requires adjudication by a court of law. In the present case, the dispute is admittedly a private property dispute between individuals. Therefore, the Commission ought to have applied its mind before initiating proceedings under the Act as to whether the dispute fell within the scope of the Human Rights Act. Entertaining such a complaint, issuing summons, and taking cognizance can have serious consequences.

"...In the present case, no such due consideration was shown, and the proceedings were initiated in a casual manner, which, in the opinion of this Court, amounts to usurpation of the jurisdiction of the Civil Court. A grievance relating to share in property cannot, by any stretch of imagination, be treated as a violation of human rights. Even assuming that the Commission was of the view that there was a human rights violation, it was still incumbent upon it to first ascertain whether any civil proceedings were pending before a court of law and, if so, to obtain prior permission from the concerned court before proceeding further, as mandated by law".

Advocate Tattvam K. Patel appeared for the petitioner and Kanva Antani, AGP appeared for the respondent. In the present matter, a relinquishment deed was executed on 15-12-2015 by respondent No. 4 in favour of the petitioners in respect of ancestral property situated at village Zundal, District Gandhinagar.

Pursuant to which, nearly ten years later, respondent No. 4 instituted a civil suit seeking cancellation of the relinquishment deed along with reliefs of declaration, injunction and partition, where the civil suit remains pending before the competent court.

During the pendency of the suit, respondent No. 4 approached the State Human Rights Commission alleging violation of her human rights on the ground that she had not been granted her share in the property.

Therefore, acting on the complaint, the Commission issued notices to the petitioners and also to senior revenue officials, including the District Magistrate and Mamlatdar. The Commission directed the parties to explore

settlement and subsequently issued summons and warrants, which ultimately led to a compromise between the parties.

Accordingly, challenging the Commission's actions under Articles 226 and 227 of the Constitution of India, the petitioners contended that the dispute was purely civil in nature and did not involve any violation of human rights as defined under Section 2(d) of the Act. They also argued that the complaint was barred by limitation under Section 36(2), as the alleged cause of action related to a deed executed in 2015.

The Court while examining the statutory framework, analysed Sections 2(d), 12, 17, 18, 29 and 36 of the Protection of Human Rights Act, 1993, along with Regulation 9 of the National Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 1994.

The Court said that "human rights" under the Act are confined to rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

"...this Court is firmly of the opinion that the initiation of inquiry by respondent No.3 in a private dispute between two private individuals not only exceeded its jurisdiction but also amounted to usurpation of the powers of the Civil Court. The Human Rights Commission is a statutory body constituted under the Act and is expected to function strictly within the limits of its statutory authority. Proceedings under the Act are not meant for settlement of private property disputes", it noted.

Cause Title: Mahendra Shanabhai Patel & Ors. v. The District Magistrate & Ors. [Neutral Citation: 2026:GUJHC:2718]

Petitioner: Tattvam K. Patel, Advocate.

Respondents: Kanva Antani, AGP, G.H. Virk, Government Pleader, Dharitri Pancholi, AGP, R.P. Patel, Advocates.



Source: <https://medicaldialogues.in/news/education/medical-colleges/grant-medical-college-mbbs-students-on-indefinite-hunger-strike-over-gymkhana-control-dilution-of-elected-bodys-powers-164754>

Grant medical college MBBS students on indefinite hunger strike over gymkhana control, dilution of elected body's powers

16 February 2026

Mumbai: More than 200 medical students of Grant Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai, have gone on an indefinite hunger strike from today (February 16) over concerns about the college administration's control in the functioning of the GMC Gymkhana and reducing the powers of the elected student body, affecting 'student autonomy.'

The students decided to take this step after months of written representations to the college administration allegedly received no response. The protest has been called by the Grant Medical College Students Association (GMCSA) to protect their fundamental, academic, and democratic rights.

According to the association, students and resident doctors have formally submitted written representations through institutional channels, citing guidelines and regulations of the National Human Rights Commission (NHRC), the National Medical Commission (NMC), the Maharashtra University of Health Sciences (MUHS), and the University Grants Commission (UGC), but did not receive any concrete and written solution.

"The central issue leading to this decision is the continued interference in the functioning of the GMC Gymkhana and the dilution of powers of the officially elected student body, GMCSA," said the association in a press release. The association stated that the Advisory Committee has been turned into an Administrative Committee, which takes decision-making powers away from elected student representatives. They also allege that the administration is interfering in matters that were traditionally handled by students. The proposed Public-Private Partnership (PPP) model is opposed by students as they believe it affects transparency and the college's autonomy.

They further claimed that student spaces and facilities are being taken over, the Gymkhana's financial and operational independence is being reduced, and the authority of elected GMCSA members is being weakened. The students insist that all powers and decision-making related to the Gymkhana should remain with GMCSA, and the administration should only play an advisory role, not as a controlling administrative body.

Medical Dialogues had earlier reported that for medical students at the Grant Medical College, the Grant Government Medical College Students' Association (GMCSA) Gymkhana near Marine Drive has been more than just an open ground. It is a space where medical students unwind, play sports, organise cultural programmes, and look after their mental and physical well-being. However, a change in the control of the Gymkhana and the ongoing plan to build a clubhouse there triggered protests from around 60 to 80 medical students in December 2025, who gathered at the gymkhana grounds near Marine Drive to express their disappointment.

The issue began earlier in 2025 when the management of the GMCSA Gymkhana was shifted from the college's elected general secretary to a government-appointed governing body. The new committee includes representatives from the Directorate of Medical Education and Research, officials from the Medical Education and Pharmaceuticals Department, the dean, the student general secretary, and the superintendent of Sir JJ Group of Hospitals.

This reportedly left the students anxious, who fear that this shift will erode their longstanding access to what has traditionally been a student-governed space. The gymkhana currently includes an open field, old sports facilities, and a cricket pitch shared with the Police Gymkhana.

Among these, the other critical issues highlighted by the students that remained unsolved include Inadequate and unsafe hostel facilities for resident doctors, lack of access to clean drinking water, insufficient campus security, especially for resident doctors and female students, and poor quality of mess/canteen facilities and irregular and delayed payment of stipends to resident doctors and interns

The movement has received official support from the Maharashtra Association of Resident Doctors (MARD JJH), which will actively participate.

"GMCSA reiterates that this step has been taken within the framework of law, university regulations, and human rights principles, solely to protect democratic student governance, institutional integrity, and the dignity of students and resident doctors. The concerned authorities are urged to intervene immediately and resolve the issues at the earliest," mentioned the press release.

Speaking to Medical Dialogues, J.J. Hospital MARD president Dr Mahesh Tidke said, "As of now, ug students are doing a protest, and we are supporting them. If the issue is not resolved, then resident doctors will actively participate in a protest. If needed, Central MARD, BMC MARD & all residents' associations will support us."

Source: <https://hindi.livelaw.in/amp/category/columns/public-exhibition-of-accused-and-presumption-of-innocence-523237>

आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन और निर्दोषता का अनुमान

By - LiveLaw Network

Update: 2026-02-16 05:12 GMT

यह आरोपी व्यक्तियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी के संदर्भ में है, जो इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 224/2026 में राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया आदेश से आकर्षित है, जो 20.01.2026 (राज एचसी) को तय किया गया था। यह अदालत कक्ष से परे निर्दोषता की धारणा की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

आरोपी और दोषी एक ही स्तर पर खड़े नहीं होते हैं। यह अंतर आपराधिक न्यायशास्त्र के केंद्र में स्थित है और ट्रायल प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संक्षेप में, अपराध को नहीं माना जाता है, लेकिन एक सक्षम अदालत के समक्ष साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जब तक वह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, एक व्यक्ति कानूनी रूप से निर्दोष रहता है और बरी होने पर बिना कलंक के समाज में लौटने का हकदार होता है।

अदालतों ने बार-बार इस अंतर की पुष्टि की है, इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में लंगर डाला है। निर्दोषता का अनुमान आपराधिक न्यायशास्त्र के एक बुनियादी लेकिन अपरिहार्य सिद्धांत का प्रतीक है, अर्थात् राज्य को निंदा करने से पहले साबित करना चाहिए। फिर भी, इन स्पष्ट जनादेशों के बावजूद, अभ्यास एक बिल्कुल अलग वास्तविकता को दर्शाता है। आरोपी व्यक्तियों को अक्सर ट्राफियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें पुलिस स्टेशनों के फर्श पर बैठने या प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों के पीछे खड़े होने के लिए कहा जाता है। अधिक परेशान करने वाले उदाहरणों में, उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर परेड किया जाता है, सार्वजनिक दुर्व्यवहार के अधीन किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, या अन्यथा अपमानित किया जाता है। यह बहुत पहले की बात है जब एक अदालत ने उनके अपराध को निर्धारित किया हो, और जबकि उनकी निर्दोषता की संभावना बहुत वास्तविक बनी हुई है। इस तरह के कृत्य आरोप और दोषसिद्धि के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं और मुकदमा शुरू होने से पहले ही सजा के रूप में काम करते हैं।

इस्लाम खान: संस्थागत अपमान की न्यायिक अस्वीकृति

इस्लाम खान बनाम राजस्थान राज्य, एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 224/2026 में राजस्थान हाईकोर्ट का हालिया आदेश, 20.01.2026 (राज हाईकोर्ट) को तय किया गया, इन संवैधानिक सिद्धांतों को दोहराता है। अदालत ने उस परेशान करने वाली प्रथा पर ध्यान दिया जिसमें आरोपी व्यक्तियों को प्रेस के सामने पुलिस स्टेशन के फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था, कुछ मामलों में आंशिक रूप से खराब परिस्थितियों में भी, और उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और समाचार प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे।

अदालत ने याद दिलाया कि एक आरोपी दोषी नहीं है और गिरफ्तारी पर संवैधानिक सुरक्षा से बाहर नहीं होती है। इसमें कहा गया कि निर्णय से पहले सार्वजनिक प्रदर्शनी, संवैधानिक नैतिकता और कानून के शासन की जड़ पर हमला करती है। इस प्रथा को "संस्थागत अपमान" के रूप में वर्णित करते हुए, अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमा का उल्लंघन करता है। इसने आगे कहा कि इस तरह का आचरण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सौंपे गए एक अनुशासित बल के लिए अनुचित है, खासकर जब कोई भी कानून इस तरह के कार्यों को अधिकृत नहीं करता है। इस तरह के परिसंचरण से होने वाले अपूरणीय नुकसान को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने 24 घंटे के भीतर ऐसी सभी तस्वीरों और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।

वैधानिक शून्य: प्राधिकरण के बिना पुलिसिंग

ये प्रथाएं कार्यकारी ओवररीच के बराबर हैं। किसी भी कानून के तहत कोई स्पष्ट आधार नहीं है, चाहे वह पुलिस मैनुअल हो, पुलिस अधिनियम हो, पूर्ववर्ती आपराधिक प्रक्रिया संहिता हो, या नव अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) हो। गिरफ्तारी कानून के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की अनुमति देती है लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शनी को अधिकृत नहीं करती है। गिरफ्तारी का उद्देश्य जांच की अखंडता की रक्षा करना है न कि सार्वजनिक तमाशा को सुविधाजनक बनाना।

इसके विपरीत, गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 की अपनी सलाह के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे आरोपी व्यक्तियों को मीडिया के सामने परेड न करें, या उनके कानूनी, मानवीय और निजता-आधारित अधिकारों का उल्लंघन न करें। इसी तरह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अभियुक्तों के सार्वजनिक प्रदर्शन और परेड पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, और अधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने का निर्देश दिया है।

गरिमा और प्रतिष्ठापूर्ण सजा

एक आरोपी को मीडिया फोटो-ऑप्स के लिए खड़े होने या उन्हें सार्वजनिक रूप से उनकी व्यक्तिगत गरिमा के उल्लंघन के लिए मजबूर करने जैसे कार्य, विशेष रूप से जब एक व्यक्ति जिसे दोषी नहीं ठहराया गया, उसे अपराध के अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मानव गरिमा को अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अभिन्न पहलू के रूप में मान्यता दी गई।

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 SCC 416 में सुप्रीम कोर्ट ने यतना को "मानव गरिमा का नग्न उल्लंघन" के रूप में वर्णित किया और आगाह किया कि पुलिस शक्ति का दुरुपयोग संवैधानिक विवेक को घायल करता है। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत में हिंसा शारीरिक हमले से परे फैली हुई है जिसमें हिरासत में दी गई मानसिक पीड़ा शामिल है। सार्वजनिक प्रदर्शनी, हालांकि शारीरिक नुकसान से जुड़ी नहीं है, एक आरोपी को राज्य के नियंत्रण में रहते हुए अपमान और मनोवैज्ञानिक गिरावट का विषय बनाती है। इस तरह का व्यवहार संवैधानिक जनादेश को संतुष्ट नहीं कर सकता है कि स्वतंत्रता का कोई भी वंचित न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो।

हालांकि, अधिकारियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई अपराध के किसी भी निर्णय से रहित होती है और सजा के एक रूप के बराबर होती है, एक ऐसी शक्ति जो उनके साथ निहित नहीं होती है। शबनम बनाम भारत संघ (2015) 6 SCC 702 के मामले में, मौत की सजा पाए दोषियों के संबंध में मानव गरिमा की अवधारणा की जांच करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन किया जाता है जहां उसके जीवन, शारीरिक या मानसिक कल्याण को नुकसान पहुंचाया जाता है, और इसमें अपमान के कार्य शामिल हैं। इस प्रकार, यदि गरिमा दोषसिद्धि से बच जाती है (यहां तक कि मौत की सजा के मामले में भी), तो यह एक किले का अनुसरण करता है कि गिरफ्तारी या आरोप के चरण में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि अधिकारियों द्वारा ये कृत्य पूरी तरह से इस श्रेणी के भीतर आते हैं, खासकर जब ऐसे कृत्य कोई वैध खोजी उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह, इन री: लखनऊ शहर बनाम यूपी राज्य, 2020 SCC ऑनलाइन All 244 में सड़क के किनारे रखे गए बैनरों में, अदालत ने कहा कि कथित दंगाइयों (सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान) की तस्वीरों और विवरणों को प्रदर्शित करने वाली होर्डिंग का कोई वैधानिक आधार नहीं था और यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

इन उल्लंघनों का प्रभाव इस डिजिटल युग में और बढ़ गया है, जहां कलंक न तो क्षणभंगुर है और न ही आसानी से मिटाया जा रहा है। इन कृत्यों के दौरान प्रसारित तस्वीरों और वीडियो एक स्थायी डिजिटल पदचिह्न बनाते हैं, जो हटाए जाने पर भी अनिश्चित काल तक फिर से उभर सकता है। इस प्रकार अभिव्यक्त को न केवल क्षणिक अपमान का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्रतिष्ठापूर्ण सजा का एक रूप जो तमाशे के फीके पड़ने के लंबे समय बाद भी सहन करता है।

अदालत कक्ष से परे निर्दोषता की धारणा

यह स्थायी डिजिटल कलंक सीधे निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है, जो भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, जैसा कि काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1973) 2 SCC 808 में दोहराया गया है, जहां अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि संदेह, चाहे कितना भी गंभीर हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इसके अलावा, यह अनुमान अदालत कक्षों के भीतर स्पष्ट बोझ तक ही सीमित नहीं है। कानून बिना सबूत के निंदा की अनुमति नहीं देता है, चाहे वह अदालत कक्ष के अंदर हो या बाहर। कोई भी प्राधिकरण इस सुरक्षा को छीन नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मुकदमा चलाने के पीछे के उद्देश्य को ही नष्ट कर दिया जाएगा।

इस तरह का चित्रण सबूत के सामने अपराध को पेश करके निर्दोषता की धारणा को मिटा देता है। यह गवाहों को प्रभावित करने, जनमत को आकार देने और मुकदमे की तटस्थता को कम करने का जोखिम उठाता है। राज्य एजेंसियां दृश्य प्रदर्शनों को मंजूरी नहीं दे सकती हैं जो अपराध और दोष की धारणाओं पर व्यापार करते हैं। इसलिए निर्दोषता का अनुमान मानव गरिमा से अविभाज्य है; यह न केवल गलत दोषसिद्धि से बल्कि समय से पहले सार्वजनिक क्षरण से भी बचाता है।

इस तरह का आचरण अक्सर अपराधबोध के एक अंतर्निहित अनुमान को दर्शाता है और गिरफ्तारी को एक खोजी उपाय से पूर्व-न्यायिक दंड में बदलने का जोखिम उठाता है। इन कृत्यों में अपराध के बारे में जनमत को आकार देने और निष्पक्ष सुनवाई के संचालन के लिए आवश्यक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की एक मजबूत संभावना है, जैसा कि हाई-प्रोफाइल मामलों में न्यायिक अनुभव ने प्रदर्शित किया है।

गिरफ्तारी का उद्देश्य जांच और ट्रायल की रक्षा करना है और सजा के उपाय के रूप में काम नहीं करना है। सार्वजनिक प्रदर्शनी एक प्रतिष्ठापूर्ण दंड लगाती है जो निर्णय द्वारा असमर्थित और वैधानिक अधिकार की कमी है। आपराधिक कानून सजा को तभी मान्यता देता है जब आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाता है और उचित प्रक्रिया के माध्यम से अपराध स्थापित किया जाता है।

संभावित बचाव

इन कार्यों को सही ठहराने के प्रयास में, यह तर्क दिया जा सकता है कि ये उपाय समाज में प्रतिरोध स्थापित करने और कानून और व्यवस्था की बहाली को उजागर करने के लिए आवश्यक हैं। कथित अपराधियों को राज्य एजेंसियों की पकड़ में दिखाकर, राज्य अपराधियों के प्रति एक कठोर रुख का संकेत देने की कोशिश कर सकता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि, प्रतिरोध सजा का एक पहलू है जो न्यायिक क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से आता है, और निर्णय से पहले इसे नियोजित करना कार्यकारी ओवररीच के बराबर है। इसका तात्पर्य यह है कि अपराध को किसी भी प्रकार के निर्णय से पहले पूर्वनिर्धारित किया जाता है, इस प्रकार इस तरह की कार्रवाई को संवैधानिक दायरे से परे रखा जाता है।

दूसरा औचित्य अधिक सूक्ष्म है। यह समाज को संकेत देने और आश्वस्त करने के लिए है कि राज्य ने निर्णायक रूप से काम किया है, व्यवस्था बहाल की है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है जो पुलिसिंग की भूमिका को पार कर देता है, क्योंकि कोई भी वैधानिक प्राधिकरण गिरफ्तारी के घटक के रूप में इस तरह के प्रदर्शन पर विचार नहीं करता है। इसके अलावा, यह शक्ति के कानूनी रूप से आधारित अभ्यास के बजाय नियंत्रण के एक प्रदर्शनकारी दावे जैसा दिखता है। राज्य की वैधता प्रदर्शन प्रदर्शन में नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के पालन में निहित है। कानून का उल्लंघन करने वालों को अनुशासित करने की कोशिश में, राज्य उन संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है जो उसके अधिकार को परिभाषित करती हैं।

इन प्रथाओं से कार्सल लोकलुभावनवाद के दायरे में प्रवेश करने का भी जोखिम होता है, जिसमें दृश्यमान दंडात्मक कार्रवाई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के बजाय प्रतिशोध की सार्वजनिक मांग को पूरा करने का एक साधन बन जाती है। एक संवैधानिक लोकतंत्र को इस बहाव का विरोध करना चाहिए। "जिन उपायों में वैधानिक नींव की कमी है और कोई खोजी आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उनके पास सार्वजनिक अनुमोदन है।"

गरिमा का संरक्षण और मासूमियत की धारणा

अंततः, आपराधिक प्रक्रिया प्रक्रिया के पालन से और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करने वाले प्रत्येक अंग से अपनी वैधता प्राप्त करती है; इसमें सार्वजनिक तमाशा के लिए कोई जगह नहीं है। "एक अभिव्यक्त और एक दोषी के बीच का अंतर केवल तकनीकीता नहीं है, बल्कि आपराधिक न्यायशास्त्र की एक संवैधानिक नींव है।" जब राज्य सार्वजनिक अपमान के ऐसे कृत्यों की अनुमति देता है, तो यह इस आवश्यक अंतर को धुंधला कर देता है और गिरफ्तारी को खुद को सजा में बदल देता है। निर्दोषता का अनुमान अपना अर्थ खो देता है यदि निर्णय से पहले प्रतिष्ठापूर्ण दंड लगाया जाना है, और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और गोपनीयता की गारंटी खोखली हो जाती है यदि यह तमाशा या सार्वजनिक भावना के आगे झुकती है।

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश एक समय पर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि संवैधानिक अनुशासन को कार्यकारी कार्रवाई का मार्गदर्शन करना

चाहिए और यह कि खोजी प्राधिकरण सार्वजनिक प्रदर्शनी और अपमान तक नहीं फैला है। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध एक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक न्याय का प्रशासन प्रदर्शन के बजाय निर्णय का एक कार्य बना रहे, कि गरिमा गिरफ्तारी से बच जाए, और यह अपराध निष्पक्ष ट्रायल के बाद ही निर्धारित किया जाता है।

लेखक- अनिरुद्ध सिंह राजस्थान हाईकोर्ट में अभ्यास करने वाले एक वकील हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।



Source: <https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged-assault-of-woman-journalist-at-protest>

NHRC seeks report from Delhi Police, DU over alleged assault of woman journalist at protest

NHRC intervenes in alleged attack on journalist at Delhi University protest

The Hawk, Feb 16, 2026, 06:09 PM

New Delhi, Feb 16 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Deputy Commissioner of Police (North Delhi) and the Vice Chancellor of the University of Delhi over allegations that a woman journalist and content creator was violently assaulted while covering a protest at the varsity's North Campus.

A Bench presided over by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the journalist was attacked by a mob on Friday while reporting on a protest in support of the University Grants Commission (UGC).

According to the complaint, the attackers allegedly targeted her on the basis of her caste identity, verbally abused her, physically assaulted her, threatened her with violence, and attempted to outrage her modesty.

The complainant stated that the incident constitutes caste-based violence, an attack on press freedom, and a serious violation of her fundamental rights to life, dignity, and personal security.

Seeking the NHRC's intervention, the complainant requested an impartial investigation into the incident, action against those responsible, adequate security and safety measures for the victim, and provision of legal aid and compensation.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex human rights body took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The NHRC has directed the DCP (North Delhi) and the Vice Chancellor of Delhi University to inquire into the allegations and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, privacy and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

--IANS

pds/uk



Source: <https://www.bhaskar.com/amp/local/mp/raisen/sanchi/news/pran-pratishtha-of-bholenath-shiva-procession-also-taken-out-137225839.html>

भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा, शिव बारात भी निकाली

सांची 4 घंटे पहले

सांची | सांची नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में रविवार को महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा, यज्ञ और हवन संपन्न हुए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्य यजमान वार्ड पार्षद संतोषी रघुवीर सिंह चौहान रहे। आयोजन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू रेवाराम ने विशेष रूप से भाग लिया। संध्या में निकली शिव बारात में ढोल-नगाड़ों की थाप, भक्ति गीतों और झांकियों ने माहौल भक्तिमय कर दिया।

Source: <https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/expression-in-films-from-a-progressive-perspective/amp>

प्रगतिशील दृष्टि से देखें फिल्मों में अभिव्यक्ति

आहत मन और आफत

Rohit Kaushik | Updated At : 11:12 PM Feb 16, 2026 IST

लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं।

क्या हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर असहिष्णुता और बढ़ रही है? क्या इस दौर में जाति और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं कुछ ज्यादा ही आहत नहीं होने लगी हैं? ताजा मामला है 'घूसखोर पंडत' फिल्म का। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म का टाइटल बदलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से यह फैसला दिया है। इसलिए इस फैसले पर कोई सवाल नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक फिल्म का टाइटल यदि किसी समाज की भावनाएं आहत कर दे तो यह सवाल तो उठेगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हम एक प्रगतिशील समाज बना पाए हैं?

एक काल्पनिक फिल्म और काल्पनिक किरदार यदि किसी समाज की भावनाएं आहत करने की हिम्मत रखता है तो यह सवाल भी उठेगा कि क्या हमारी भावनाएं भी तो काल्पनिक नहीं हो गई हैं। यह केवल ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर किसी जाति या किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती रहती हैं। बहरहाल, अब इस फिल्म का टीजर और उससे जुड़ी सभी प्रमोशनल सामग्री नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा ली गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के टाइटल और फिल्म सामग्री से न केवल समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है।

हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। जिस तरह अन्य जातियों और समाज के लोगों ने देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसी तरह ब्राह्मण समाज के लोगों के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता। इस फिल्म के टाइटल 'घूसखोर पंडत' पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 'पंडित' शब्द आम तौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। लोगों का मानना है कि इसमें ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाया है। सवाल यह है कि अगर फिल्म में किसी एक जाति या समाज से जुड़ा कोई इंसान घूसखोर है और उसे घूसखोर या भ्रष्टाचारी दिखाया गया है और इसका टाइटल भी घूसखोर रखा गया है तो इससे उस पूरी जाति या समाज का अपमान कैसे हो गया? यदि एक चरित्र को उसकी जाति से जोड़कर घूसखोर लिखा गया है तो यह उस चरित्र के बारे में है न कि उस पूरे समाज के बारे में है। सवाल यह है कि इसे जानबूझकर एक जाति या समाज से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। इस दौर में हमारी भावनाएं इतनी जल्दी क्यों आहत होने लगी हैं? निश्चित रूप से यह समाज लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है लेकिन क्या एक पढ़े-लिखे समाज में हमारी मानसिकता भी बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या संकुचित मानसिकता से वास्तव में हम प्रगतिशील समाज के दायरे में आ पाएंगे? इस दौर में क्या हमारी समझ छोटी हो गई है या फिर हम जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं? कभी कोई किताब हमारी भावनाएं आहत कर देती है तो कभी कोई फिल्म हमारा अपमान कर देती है। क्या वास्तव में हम 21वीं सदी का समाज कहलाने लायक हैं?

हर जाति और धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अगर अच्छाई और बुराई को हम किसी एक जाति या धर्म से जोड़कर देखने लगेंगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भ्रष्टाचार करने वाला इंसान किसी भी जाति या धर्म में हो सकता है। अगर किसी जाति या समाज का एक या कुछ इंसान भ्रष्टाचारी हैं तो इस आधार पर वह पूरा समाज भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। दरअसल, इस दौर में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। यह समाज पहले से अधिक पढ़ा-लिखा और प्रगतिशील है।

निःसंदेह, प्रगतिशील दौर में जाति कमजोर होनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर में जाति और मजबूत हो गई है। जाति आधारित संगठन भी मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि हर जाति अपने अपमान की बात करने लगी है। हमें यह समझना होगा कि किसी एक क्रियाकलाप से भला पूरी जाति का अपमान कैसे हो सकता है। इस दौर में भी मजबूत होती जाति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। आए दिन कहीं न कहीं जाति के अपमान के मुद्दे पर हंगामा होता रहता है। सवाल यह है कि क्या एक पढ़े-लिखे समाज में इस तरह की मानसिकता उचित है? निश्चित रूप से एक पढ़े-लिखे समाज से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

आलोचना होती है, भारतीय समाज अभी तक भी किताबों को पढ़ने और फिल्मों को देखने की प्रगतिशील सोच की समझ विकसित नहीं कर पाया है। लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर झांकने के बजाय ऐसी किताबों और फिल्मों को ही कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। यही कारण है कि भावनाएं आहत होने के नाम पर या फिर समाज का अपमान होने के नाम पर किताबों और फिल्मों पर रोक लगाने की मांग

अक्सर उठती रहती है। इस दौर में हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वह हमें अंधकार में धकेल रही है। अपनी मानसिकता को बदलकर ही भारतीय समाज इस अंधकार को दूर कर सकता है।

Source: <https://samacharnama.com/news/hindi-nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged/cid18252825.htm>

एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस और डीयू से महिला पत्रकार पर हुए हमले की रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस उपायुक्त (उत्तरी दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर हिंसक हमला किया गया।

By Samacharnama Desk Feb 16, 2026, 19:52 IST

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस उपायुक्त (उत्तरी दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर हिंसक हमला किया गया।

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समर्थन में हो रहे एक प्रदर्शन को कवर करते समय पत्रकार पर भीड़ ने हमला किया था।

शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने कथित तौर पर पत्रकार को उसकी जातिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाया, उसे मौखिक रूप से गाली दी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हिंसा की धमकी दी, और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह घटना जाति आधारित हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से हस्तक्षेप की मांग करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़िता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और कानूनी सहायता एवं मुआवजे के प्रावधान का अनुरोध किया। यह देखते हुए कि आरोप, यदि सत्य हैं, तो प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देते हैं, सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने डीसीपी (उत्तर दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि एनएचआरसी इसकी समीक्षा कर सके।

--आईएनएस

एमएस/

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/raisen/mandideep/news/nhrc-member-priyank-kanungo-visit-gauharganj-conversion-fir-directive-137218763.html>

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो गौहरगंज पहुंचे, ग्रामीणों से संवाद: बोले-लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर FIR; संवैधानिक अधिकार पर मार्गदर्शन

मंडीदीप 11 घंटे पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो रविवार को गौहरगंज पहुंचे। हनुमान घाट पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। वे विश्व हिंदू परिषद की अपील पर यहां आए थे। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि बाहरी लोग गांव के भोले-भाले लोगों का ब्रेनवॉश कर लाभ और लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।

कानूनगो ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने धर्मांतरण, भ्रम और प्रलोभन जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। आयोग सदस्य ने संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उन्होंने समझाया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर एफआईआर

कानूनगो ने शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भी बात की। उन्होंने ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रयास तेज करने की सलाह दी।

धर्मांतरण के मामलों में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि प्रलोभन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर FIR दर्ज कराई जा सकती है।

कानूनगो ने FIR से लेकर अदालती प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी दी, ताकि कोई भ्रम न रहे।

ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए कि ग्रामीणों को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए। इस अवसर पर एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीओपी शीला सुराणा, सतलापुर थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी और गौहरगंज प्रभारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र कीर ने ग्रामीणों से जागरूकता बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की।



Source: <https://www.badaunexpress.com/?p=628720>

डीयू में पत्रकार पर हमले का NHRC ने लिया संज्ञान

Badaun Express February 16, 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC नियमों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पत्रकार रुचि तिवारी पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Source: <https://www.etvbharat.com/hi/state/jharkhand-hc-directs-filing-of-fresh-affidavit-regarding-judicial-inquiry-in-custodial-death-case-jharkhand-news-jhs26021605177>

हिरासत में मौत पर सख्त रुख, गृह सचिव से नया शपथपत्र तलब, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में न्यायिक जांच को लेकर राज्य के गृह सचिव को नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 16, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read

रांची: झारखंड में हिरासत यानी कस्टोडियल डेथ के मामलों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि राज्य में हिरासत में हुई मौतों के मामलों में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं.

NHRC के दिशा निर्देशों का पालन हुआ या नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने गृह सचिव से यह भी जानना चाहा है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पहले दाखिल किए गए शपथपत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि हिरासत में हुई मौतों की न्यायिक जांच हुई है या नहीं.

गृह सचिव नये सिरे से शपथ पत्र दाखिल करें: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, कोर्ट ने माना कि गृह सचिव की ओर से दायर शपथपत्र अस्पष्ट है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सादाब अंसारी ने भी अदालत को बताया कि शपथपत्र में जरूरी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इस पर अदालत ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे नए सिरे से शपथपत्र दाखिल करें और उसमें यह स्पष्ट करें कि हिरासत में हुई मौतों के मामलों में न्यायिक जांच कराई गई है या नहीं.

दरअसल, मो मुमताज अंसारी ने याचिका दायर कर राज्य की जेलों और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों की जांच का आदेश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हिरासत में मौत के मामलों में मृत्यु की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि इन मामलों की विधिवत न्यायिक जांच कराई गई. अदालत ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब करते हुए संकेत दिया है कि हिरासत में मौत जैसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है.

Source: <https://www.patrika.com/amp/opinion/shri-anna-millet-national-food-basket-pds-nutrition-security-climate-resilient-agriculture-food-security-india-20355728>

Food Security India: 'श्री अन्न' को राष्ट्रीय खाद्य टोकरी का स्थायी हिस्सा बनाएं

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं-चावल पर निर्भरता के कारण पोषण असंतुलन बढ़ा है। लेख में 'श्री अन्न' (मिलेट्स) को राष्ट्रीय खाद्य टोकरी का स्थायी हिस्सा बनाने की वकालत की गई है ताकि कुपोषण घटे, किसानों को लाभ मिले और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिल सके।

3 min read

जयपुर, Opinion Desk, Feb 16, 2026

प्रियंक कानूनगो - सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

शिवानी सिंह - सहायक प्रोफेसर (एसजीटी विवि),

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रामीण आबादी के लगभग 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है और प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज का अधिकार प्रदान किया गया है।

यह व्यवस्था भूख से सुरक्षा देने और न्यूनतम खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु बेहतर और संतुलित पोषण की दृष्टि से यह अब भी पर्याप्त नहीं है, विशेषकर उस स्थिति में जब भारत में कुपोषण एक व्यापक और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व के कुल कुपोषित लोगों में लगभग एक-तिहाई भारत में निवास करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल कैलोरी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खाद्य टोकरी की गुणवत्ता पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे संदर्भ में मिलेट्स, जिन्हें अब 'श्री अन्न' के रूप में नई पहचान दी गई है, एक बेहतर और उपयोगी विकल्प के रूप में सामने आते हैं।

पोषण की दृष्टि से 'श्री अन्न' गेहूं और पॉलिश किए हुए चावल की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अधिक फाइबर तथा आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण यह रक्त शर्करा के बेहतर नियंत्रण, मोटापे के जोखिम में कमी और पाचन स्वास्थ्य में सुधार जैसे लाभ प्रदान करते हैं, फिर भी गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इनका उपभोग 1960 के दशक में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 30.1 किलोग्राम से घटकर 2022 में 3.9 किलोग्राम से भी कम रह गया है। आहार संबंधी इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन, समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद पर दिया गया नीतिगत जोर रहा, जबकि पीडीएस के माध्यम से मुख्य रूप से इन्हीं दो अनाजों का नियमित वितरण होने से उपभोक्ताओं की खाद्य आदतें भी धीरे-धीरे उन्हीं पर केंद्रित हो गईं।

इस व्यवस्था का प्रभाव केवल उपभोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों की फसल पद्धति भी सरकारी खरीद के अनुरूप बदलती चली गई, जिसके परिणामस्वरूप 'श्री अन्न' जैसी परंपरागत और जलवायु-अनुकूल फसलें कृषि परिदृश्य से लगातार पीछे हटती गईं। सिर्फ जागरूकता अभियानों से इस स्थिति को बदलना संभव नहीं है, क्योंकि जनस्वास्थ्य की मौजूदा हालत ज्यादा व्यापक है और ठोस कदमों की मांग करती है। अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के विश्लेषण के अनुसार यदि 20 करोड़ पीडीएस लाभार्थी प्रतिवर्ष केवल एक किलोग्राम चावल के स्थान पर 'श्री अन्न' का उपयोग करें, तो देश लगभग 1.37 अरब डॉलर की बचत कर सकता है।

'श्री अन्न' को तुरंत चावल और गेहूं के स्थान पर पूरी तरह प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चरणबद्ध और सुविचारित रणनीति तरीके से इसे लागू किया जा सकता है। शुरुआत में प्रति परिवार प्रति माह 1-2 किलोग्राम 'श्री अन्न' मौजूदा राशन के साथ प्रदान किया जा सकता है। जिन राज्यों में उत्पादन अधिक है, वे पहले इसे शुरू कर सकते हैं। इससे दूसरे राज्यों को खरीद, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों को बाजार का भरोसा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाएं बनने से यह आसानी से पकाने और उपयोग करने लायक रूप में उपलब्ध हो सकेगा।

'श्री अन्न' को बढ़ावा देना अतीत की ओर लौटने का प्रयास नहीं है, बल्कि वर्तमान की पोषण, कृषि व जलवायु संबंधी चुनौतियों के बीच संतुलित और व्यावहारिक समाधान की दिशा में कदम है। क्योंकि पीडीएस केवल अनाज बांटने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह लोगों के खाने की आदतों, किसानों की खेती के तरीकों और देश की पूरी खाद्य प्रणाली की दिशा को भी प्रभावित करता है। अब जरूरत इस बात की है कि इन्हें राष्ट्रीय खाद्य टोकरी का स्थायी हिस्सा बनाया जाए और हर पीडीएस लाभार्थी तक पहुंचाया जाए।

Source: <https://janchowk.com/why-was-youtuber-journalist-ruchi-tiwari-mistreated/>

यूट्यूबर पत्रकार रुचि तिवारी के साथ बदसलूकी क्यों!

by सुसंस्कृति परिहार | February 16, 2026

डीयू की इस घटना की खबर मिलते ही जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तुरंत संज्ञान लिया, पुलिस सक्रिय हुई है वह इस बात का प्रमाण है कि एक जाति विशेष के लिए इतनी जल्दी कार्यवाही क्योंकर शुरू हुई? एक दृष्टि से यह खबर अच्छी लगती है। काश! सभी निष्पक्ष मीडिया कर्मियों को भी तुरंत ऐसी कार्रवाई की उम्मीद मिल पाती।

बहरहाल, आजकल आंदोलनों से जिस तरह लोग बेबाकी से जुड़ते चले जा रहे हैं। यह गोदी मीडिया के लिए आगे भयावह स्थिति ला सकते हैं क्योंकि अब तक 90 फीसदी मीडिया ने इस सरकार की नाकामियों को जिस तरह छुपाकर तारीफों की बरसात की है। उसकी पोल पट्टी निरंतर खुलती जा रही है। जो सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार लगातार दिखा रहे हैं।

रुचि तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में चल रहे एससी/एसटी/ओबीसी के आंदोलन में घुसकर जिस तरह के अनुचित सवाल दागती हैं जिससे यह समझने में देर नहीं लगती कि वे आंदोलन की रीति नीति से ज्यादा आंदोलन की आलोचनाओं का सहारा ले रही हैं जिसका विरोध वहां के छात्र छात्राएं करते हैं तो वे बदतमीजी पर उतर आती हैं और एक दलित छात्रा को गिराकर बाल खींचती हैं। मारपीट करने लगती है। जिससे माहौल बिगड़ने लगता है।

वे जातिवाद का वितंडावाद खड़ा करती हैं और यहां से भागकर समीपवर्ती थाने में डीयू के छात्रों पर जुल्म ज़्यादातियों के आरोप लगा देती है। जान को खतरे का भी इल्जाम लगाती हैं। थाने में जब दूसरा पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है तब एबीवीपी के छात्र आईसा की छात्राओं के साथ जिस तरह की हरकतें पुलिस थाने में करते हैं उसके वायरल वीडियो को क्या पुलिस देखेगी।

धन्य है ऐसी महिला पत्रकार जो छात्रों की पीड़ा को ना समझते हुए उन्हें सरकारी पाठ पढ़ाने जाती हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए अब गोदी मीडिया ही सरकार के दिन भी पूरे होने वाले हैं। कितने दिन इस तरह की पत्रकारिता चलेगी।

इसी तरह की एक महिला को याद कीजिए जिसने जेएनयू में घुसकर मारपीट की थी नाम था कोमल शर्मा...वह भी एबीवीपी से थीं और जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की थी।

हाल ही यौन अपराधी एपस्टीन के बचाव में उतरी एनडीटीवी की एंकर पद्मजा जोशी को ही देख लीजिए। सरकार की चापलूसी ऐसे मुद्दे पर हो रही है जिसकी खबरें दिल दहला रही हैं।

ऐसे अनेकों उदाहरण आज सामने आ रहे हैं। जो बहुत दुखद है। सोचिए हमारा समाज किस तरह पतनशील होता जा रहा है।

अभी भी वक्त है बिकाऊ होने की जगह ज़रा दिल की आवाज़ भी सुन ली जाए। पीड़ितों का साथ दें। महिलाओं का हृदय कहा जाता है बहुत उदार होता है उनसे ऐसी बेरुखी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि यह होता रहता है तो यह पतन की पराकाष्ठा होगी।

फिलहाल रुचि तिवारी जी के साथ हुई बदसलूकी का मलाल ज़रूर है। उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार पुलिस सब उनकी है लेकिन इस तरह का सवाल बनाना पत्रकार का काम नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब चापलूस मीडिया का भंडा भी फूटेगा? कौन कितने में बिका वगैरह वगैरह।

(सुसंस्कृति परिहार टिप्पणीकार और एक्टिविस्ट हैं।)

Source: <https://lagatar.in/jharkhand-hc-again-seeks-response-from-home-secretary-in-custodial-death-cases>

झारखंड HC ने हिरासत में मौत के मामलों में गृह सचिव से फिर मांगा जवाब

By Lagatar News | Feb 16, 2026 03.53 PM

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हुई हिरासत में मौत (Custodial Death) की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव को एक बार फिर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने गृह सचिव से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि राज्य में हुई सभी हिरासत में मौत की घटनाओं में न्यायिक जांच (Judicial Enquiry) कराई गई है या नहीं।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि शपथ पत्र में यह जानकारी दी जाए कि न्यायिक जांच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मो० शादाब अंसारी ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह सचिव का शपथ पत्र अस्पष्ट है।

मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पहले दाखिल किए गए शपथ पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि हिरासत में मौत के मामलों में न्यायिक जांच हुई है या नहीं। इसी कारण कोर्ट ने गृह सचिव को दोबारा विस्तृत और स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।

दरअसल, सरकार की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को यह बताया गया था कि हिरासत में मृत्यु के सभी मामलों में, चाहे वह जेल में हुई हो या न्यायिक हिरासत में, मृत्यु की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई थी। जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मजिस्ट्रेट द्वारा जेल या न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में कोई जांच की गई थी या नहीं।

बता दें कि प्रार्थी मोहम्मद मुमताज अंसारी ने राज्य में जेल या न्यायिक हिरासत में हुई मौत मामले की जांच करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/delhi-vishwavidyalay-mein-mahila-ke-saath-hui-hinsa-ke-mamle-mein-nhrc-ne-jari-notice-1253327>

दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला संग हिंसा के मामले में एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस

16 Feb 2026 7:27 PM

दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश में सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने की जिम्मेदारी दी है और इसे नागरिक न्यायालय के समान जांच करने के अधिकार भी प्रदान किए हैं।

नोटिस में आगे लिखा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में यूजीसी के समर्थन में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर भीड़ ने हिंसक हमला किया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि हमलावरों ने उन्हें उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाया। उन्हें मौखिक रूप से अपमानित किया। शारीरिक रूप से हमला किया। हिंसा की धमकी दी और उनकी मर्यादा को चोट पहुंचाने का प्रयास किया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि यह घटना जातिवादी हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और उनके जीवन, सम्मान और व्यक्तिगत सुरक्षा के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने और आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्राथमिक जांच के अनुसार, शिकायत में किए गए आरोप मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रतीत होते हैं।

नोटिस में कहा गया है कि आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने इस मामले में धारा 12 के तहत कार्रवाई करने का संज्ञान लिया है। आयोग के निर्देशानुसार, रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया गया है कि उत्तर दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया जाए और शिकायत में किए गए आरोपों की जांच करवाई जाए। जांच पूरी होने के बाद दो हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला पत्रकार के साथ हिंसक दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। हम संज्ञान ले रहे हैं, गुंडों का विधिसम्मत इलाज किया जाएगा।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-nhrc-seeks-report-from-delhi-police-du-over-alleged-assault-on-woman-journalist-at-protest-20260216171813-1253342>

एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस और डीयू से महिला पत्रकार पर हुए हमले की रिपोर्ट मांगी

16 Feb 2026 7:53 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस उपायुक्त (उत्तरी दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर हिंसक हमला किया गया। नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस उपायुक्त (उत्तरी दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में एक प्रदर्शन को कवर करते समय एक महिला पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर पर हिंसक हमला किया गया।

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समर्थन में हो रहे एक प्रदर्शन को कवर करते समय पत्रकार पर भीड़ ने हमला किया था।

शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने कथित तौर पर पत्रकार को उसकी जातिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाया, उसे मौखिक रूप से गाली दी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, हिंसा की धमकी दी, और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि यह घटना जाति आधारित हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से हस्तक्षेप की मांग करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़िता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और कानूनी सहायता एवं मुआवजे के प्रावधान का अनुरोध किया।

यह देखते हुए कि आरोप, यदि सत्य हैं, तो प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देते हैं, सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने डीसीपी (उत्तर दिल्ली) और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि एनएचआरसी इसकी समीक्षा कर सके।